

अवर न्यायाधीश—प्रथम, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद

बंटवारा वाद संख्या—270 / 2022

सी.आई.एस. नं.—270 / 2022

24.01.2024

वादी अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से विदित होता है कि वादी इस वाद में दिनांक 27.07.2023 से उचित पैरवी नहीं कर रहे हैं। वादी द्वारा इस वाद के अग्रिम कार्रवाई हेतु कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि वादी को वाद के अग्रतर कार्यवाही में कोई रुचि नहीं है। वाद को आगे बढ़ाये जाने का कोई आधार अभिलेख पर मौजूद नहीं है। अतः अदम पैरवी में उक्त वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, प्रथम
व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद।